तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु0न0 पुराना 56/2020 नया मु0न0 248/24 उनवानी लक्ष्मीकान्त रामावत बनाम बालकृष्ण वगै0 **दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2026	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित । वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आपत्ति को खारीज करने एवं वाद को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2024/1676 दिनांक 30.08.2024 डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। वकील पक्षकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट संख्या 9645/2025 के निर्णय दिनांक 01.04.2026 की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी । बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातो का अवलोकन किया गया अवलोकन बाद प्रार्थना पत्र आपत्ति खारीज किया जाकर वादी वादी तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2024/1676 दिनांक 30.08.2024 के अनुसार वादी वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजाः— **निर्णय** वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके ग्राम झुन्झुनू पटवार हलका एवं तहसील झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2195 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 2196 रकबा 4.38 है0, खसरा संख्या 2197 रकबा 0.75 है0, कुल किता 03 कुल रकबा 5.15 है0 भूमि के पक्षकारान को तहसीलदार झुन्झुनू से प्राप्त मुताबिक विभाजन प्रस्ताव कमांक कमांक भू0अ0/2024/1676 दिनांक 30.08.2024 में अंकितानुसार अलग—अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। (कौशल्या बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	